

प्रेस नोट थाना झंगहा जनपद गोरखपुर दिनांक 27.12.2023

पैसा लेकर अवैध व कूटरचित बीजा देकर धोखाधड़ी करने के आरोप में 01 नफर अभियुक्त गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा धोखाधड़ी के अपराधों पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक उत्तरी के मार्गदर्शन में, क्षेत्राधिकारी चौरी चौरा के पर्यवेक्षण में व थानाध्यक्ष झंगहा मय पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 1027/24 धारा 406,420,467, 468,471 भादवि से संबंधित अभियुक्त बिजेन्द्र सिंह को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

अभियुक्त द्वारा वादी मुकदमा को विदेश भेजने के नाम पर पैसा लेना तथा अवैध व कूटरचित बीजा देकर धोखाधड़ी करने के संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मुकदमा उपरोक्त पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -

बिजेन्द्र सिंह पुत्र रमेश सिंह निवासी ग्राम तिघरा खैरवा थाना एकौना जनपद देवरिया

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 1027/24 धारा 406,420,467,468,471 भादवि0 थाना झंगहा जनपद गोरखपुर
2. मु0अ0सं0 310/24 धारा 406.419,420,467,468,471 भादवि0 थाना झंगहा जनपद गोरखपुर
3. मु0अ0सं0 420/23 धारा 406,420,504,506 भादवि0 थाना झंगहा जनपद गोरखपुर
4. मु0अ0सं0 454/23 धारा 406,420,506 भादवि0 थाना झंगहा जनपद गोरखपुर
5. मु0अ0सं0 058/22 धारा 406,420,506 भादवि0 थाना चौरीचौरा जनपद गोरखपुर
6. मु0अ0सं0 748/24 धारा 406,506 भादवि0 थाना बड़हलंगंज जनपद गोरखपुर
7. मु0अ0सं0 333/23 धारा 406 भादवि0 थाना श्यामदेउरवा जनपद महाराजगंज

गिरफ्तारी की टीम-

1. थानाध्यक्ष राकेश रोशन सिंह झंगहा जनपद गोरखपुर
2. व0उ0नि0 राजेश यादव थाना झंगहा जनपद गोरखपुर
3. उ0नि0 आलोक कुमार सिंह थाना थाना झंगहा जनपद गोरखपुर
4. का0 हरेंद्र प्रसाद थाना झंगहा जनपद गोरखपुर